

प्रेस नोट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर दिनांक 23.09.2024

कूटरचना व धोखाधड़ी कर जमीन का अवैध बैनामा करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक कैण्ट के नेतृत्व में 30नि0 रामानुज सिंह यादव मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 200/2024 धारा 419/420/467/468/471/406/504/506 भा0द0सं0 से संबंधित अभियुक्त देशबन्धु शर्मा पुत्र स्व0 दीनदयाल शर्मा निवासी लच्छीपुर बनकटवा थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण- अभियुक्त देशबन्धु शर्मा उपरोक्त द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर एक ही जमीन का बैनामा एक ही दिन वादिनी व एक अन्य व्यक्ति को कर दिया गया तथा वादिनी का 4,50,000/- रुपया हड़प लिया गया। जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

देशबन्धु शर्मा पुत्र स्व0 दीनदयाल शर्मा निवासी लच्छीपुर बनकटवा थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 200/2024 धारा 419/420/467/468/471/406/504/506 भा0द0सं0 थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

- 30नि0 रामानुज सिंह यादव चौकी प्रभारी कलेक्ट्रेट थाना कैण्ट गोरखपुर।
- प्रशि0 30नि0 अंकुर सिंह चौकी कलेक्ट्रेट थाना कैण्ट गोरखपुर।
- प्रशि0 30नि0 चन्दा कुमारी थाना कैण्ट गोरखपुर।
- हे0का0 अजय कुमार यादव थाना कैण्ट गोरखपुर।
- म0का0 पूजा थाना कैण्ट गोरखपुर।
- म0का0 ज्योति सरोज थाना कैण्ट गोरखपुर।
- का0 पप्पू कुमार चौकी कलेक्ट्रेट थाना कैण्ट गोरखपुर।
- का0 प्रदीप कुमार चौकी कलेक्ट्रेट थाना कैण्ट गोरखपुर।
- का0 जयप्रकाश यादव थाना कैण्ट गोरखपुर।
- का0 अशोक कुमार यादव थाना कैण्ट गोरखपुर।